न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बीकानेर शहर

पीठासीन अधिकारी : बिन्दु खत्री आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः— 35/2015

आर.सी.एम.एस. संख्याः— 2015/00023

1. नारायण राम
2. रिधी
3. हेमाराम
4. सोहन राम
5. शान्ति देवी

पुत्र—पुत्री स्व. शेराराम जाति जाट निवासी भोजेरा तहसील व जिला बीकानेर ।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बीकानेर।

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत 88, 188, 92(क) आर.टी.एक्ट एवं 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थितः—

1. **श्री गणेश गोदारा, अभिभाषक वादीगण की ओर से।**
2. **श्री पैरोकारराज, राज्य की ओर से ।**

निर्णय

दिनांकः- 10.05.2019

वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने वादपत्र बाबत् घोषणात्मक, चिरनिषेधाज्ञा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती का इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि ग्राम रोही भोजेरा के साबिका खसरा नं. 65 की आरजी, जिसके मिसल बन्दोबस्त में नवीन खसरा नं. 30, 36 व 37 बने तथा जिसका क्षेत्रफल क्रमशः 15.59 हैक, 6.20 हैक व 3.90 हैक बने है । जिसके ख. नं. 128/65 व ख. नं. 120/65 अंकित किया । सम्वत 2010 से पूर्व से ही इस पर उनके पिता शेरा वल्द पुरबा बतौर काश्तकार काबिज चले आ रहे थे । संवत 2012 में भी जब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रभावशील हुआ था, के रोज भी उक्त भूमि पर वादीगण के पिता काबिज काश्त थे। अतः शेरा वल्द पुरबा भूमि मुतनाजा के By operation of law खातेदार काश्तकार हो गये । विवादित भूमि संवत 2030 तक की जमाबन्दियों एवं खसरा गिरदावरियों में शेरा वल्द पुरबा के नाम से अंकित होती रही, लेकिन इसके पश्चात् उक्त भूमि बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश सिवायचक दर्ज कर दी गयी, जो गैर कानूनी है तथा वादीगण के टिनेन्सी हकूकों के समक्ष बेअसर एवं प्रभाव शून्य है । कालान्तर में वादीगण को यह पता चला कि जमीन जैर वाद उनकी टेनेन्सी होते हुवे भी अराजीराज दर्ज कर दी गयी तब उन्हे यह वाद न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ा । वादीगण ने भूमि पर स्वत्व की खातेदार काश्तकार घोषित करने, स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादी राज्य को पाबन्द करने तथा खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम दर्ज करने हेतु यह वाद स्वीकार किया जावें ।

इस वाद पत्र के पेश होने पर प्रतिवादी को जरिये समन बनाम मुवयलाह बिनावर कायमी तनकीयात दिलाया गया । प्रतिवादी राज्य की ओर से पैरोकारराज ने जवाब दावा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Khatri
Date: 2021.01.15 16:56:51 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 04.12.2015 को न्यायालय में दाखिल किया । जिसमें खसरा नं. 128/65 तादादी 33 बीघा 17 बिस्वा व खसरा नं. 129/65 तादादी 15 बीघा कुल 48.17 बीघा भूमि पर तो वादीगण के पिता की खातेदारी होना स्वीकार किया, लेकिन नवीन खसरा नं. 30, 36 व 37 की भूमियां राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक के रूप में दर्ज होने का तथ्य लिखा ।

वाद पत्र एवं वादोतर में पक्षकारान द्वारा किये गये अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में निम्नानुसार वाद बिन्दु विन्चित किये गये–

1. आया कि वादीगण वाद पत्र के अनुतोष पैरा में वर्णित कृषि भूमि पर संवत 2010 से ही काबिज काश्तकार होने से खातेदार काश्तकार हो गये, जिसकी घोषणा करवाने के वादीगण मुश्तहक है?
2. आया कि वादगत कृषि भूमि गलत रूप से सिवायचक दर्ज होने से इसकी दुरूस्ती करवाने के अधिकारी है?
3. आया कि हस्ब हस्तदुआ खुद वादीगण प्रतिवादी के खिलाफ चिरनिषेधाज्ञा पाने के हकदार वादीगण है?
4. आया वाद पत्र स्पष्ट प्लीडिगंस के अभाव में काबिले खारिज है?

वादीगण ने अपनी दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 से लगाकर प्रदर्श–32 यथा प्रमाणित नकल जमाबन्दी, खसरा गिरदावरी व मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत कर बयानी साक्ष्य में वादी संख्या 1 नारायणराम PW-1, वादी संख्या 3 हेमाराम PW-2, वादी संख्या 4 सोहनराम PW-3 के रूप में परीक्षित कराया है । प्रतिवादी राज्य की ओर से कोई दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी ।

योग्य अभिभाषक वादीगण श्री गणेश गोदारा ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम भोजेरा में स्थित साबिका खसरा नं. 128/65 तादादी 33 बीघा संवत 2009 से 2013 की गिरदावरी पंचसाला जो प्रदर्श–13 के रूप चिन्हित किया गया है, में वादीगण के पिता शेरा वल्द पुरबा को काश्तकार संवत 2007 के रूप में अंकित किया गया है तथा मोठ, बाजरा की फसल उन्ही की काश्त की हुई है। इसी प्रकार खसरा गिरदावरी संवत 2013 से 2016 जो प्रदर्श अंकित नहीं किया गया है, में खसरा नं. 129/65 तादादी 15 बीघा हेतु शेरा वल्द पुरबा काश्तकार संवत 2009 अंकित है। संवत 2030 तक बनने वाली खसरा गिरदारियों एवं जमाबन्दियों में उनके पिता बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज होते रहे है । तो बाद में उनकी भूमि को अराजीराज दर्ज करना ही मूल रूप से गैर कानूनी कार्यवाही है। विद्वान अभिभाषक वादीगण ने हमारा ध्यान खसरा गिरदावरी संवत 2023 से 2026, जो प्रदर्श–19 के रूप में चिन्हित किया गया, की ओर दिलाते हुवे कहा कि वास्तव में खसरा नं. 65 जो शिकस्त होकर खसरा नं. 83, 128, 129, 131, 132, 133, 135 व 130 पर दर्ज हो गये, वह मूल रूप से खसरा नं. 65 की भूमि रही है । जिसके एकीकरण में नवीन खसरा नं. 30, 36 व 37 पैमूद हुवे, जो वादीगण की ही भूमि है। जिसके लिए मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2 प्रदर्शित कराया गया है । उनकी यह भी बहस रही कि संवत 2010 से लगातार वाद दायरी तक पहले उनके पिता शेरा व उनकी मृत्यु के पश्चात् वादीगण ही इस पर काबिज चले आ रहे है । यह तथ्य प्रस्तुत दस्तावेजी व जुबानी साक्ष्य से प्रमाणित किया है। वकील वादीगण की [illegible] भी बहस रही कि तहसीलदार बीकानेर इस केस में प्रतिवादी के रूप में पक्षकार संयोजित है [illegible] उन्होंने अपने जवाब दावा में वादीगण के लिखे कथनों को स्वीकार किया है [illegible] स्थिति में वादीगण के दावें को प्रमाणित होना माना जाकर वादीगण के हक में [illegible] किया जाना चाहिये ।

इस बहस के जवाब में पैरोकारराज ने अ[illegible] बहस में कथन प्रस्तुत किया कि योग्य अभिभाषक वादीगण की यह बहस मानने योग्य नहीं है कि प्रतिवादी राज्य की ओर से प्रस्तुत जवाब दावे में वाद पत्र को स्वीकार कर लिया हो । उन्होंनें तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम भोजेरां स्थित साबिका खसरा नं. 128/65 तादादी 33 बीघा 17 बिस्वा व खसरा नं. 129/65 तादादी 15 बीघा इस प्रकार कुल 48.17 बीघा भूमि वादीगण के पिता की

कलक्टर एवं [illegible] मजिस्ट्रेट बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Khatri
Date: 2021.01.15 16:56:51 IST
Reason: SelfAttested

खातेदारी में होना माना है, जो रिकॉर्ड के आधार पर सही है । आगे अपनी बहस में पैरोकारराज ने हमारा ध्यान प्रदर्श–23 की ओर दिलाते हुवे कहा कि प्रस्तुत खसरा गिरदावरी संवत 2031 से 2034 में बनी है, जिसमें खसरा नं. 128/65 व 128/70 लिपिकीय भूलवश लिखा गया है, को शेरा वल्द पुरबा खातेदार काश्तकार अंकित है । तो वादीगण द्वारा वादपत्र व बहस में उनकी भूमि को संवत 2030 के बाद अराजीराज अंकित कर दी गयी, सही नहीं है। वादीगण ने तथ्य छुपाकर प्रदर्श–19 जो गिरदावरी है, को आधार अभिलेख मानते हुवे खसरा नं. 128/65 व 129/65 की आड में साबिका खसरा नं. 65 जो विशुद्ध रूप से अराजीराज है तथा प्रारम्भ से ही रिकॉर्ड में सिवायचक के रूप में दर्ज है, हडप करने हेतु यह बोगस, फिक्सीयस व झूठा दावा प्रस्तुत किया है । पैरोकारराज की यह भी बहस रही कि वादीगण को विवादित भूमि से किसी प्रकार का कोई सम्बंध नहीं है तथा ना ही शेरा वल्द पुरबा व उसके पश्चात् वादीगण किसी प्रकार के टिनेन्ट भूमि मुतनाजा के रहे है । उन्होनें कहा कि कोई वादकारण (Couse of action) प्रतिवादी के खिलाफ वादीगण को अराईज नहीं हुआ है, ना ही वादाधार एवं वाद हैतुक का वाद पत्र में कहीं अंकन है, ना हीं वादीगण ने कोई आधार अभिलेख पत्रावली पर प्रस्तुत किया है । उन्होनें कहा कि केवल पंचसाला गिरदावरी व संवत 2023 से 2026 की गिरदावरी को वादीगण ने अपना आधार अभिलेख बताया है। उन्होनें कहा कि खसरा गिरदावरियां कब्जे के बाबत् अच्छा साक्ष्य हो सकती है, लेकिन राईट ऑफ रेवेन्यु रिकॉर्ड नहीं होने से उनके आधार पर हकों का निस्तारण नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके बाबत् जमाबन्दी प्रस्तुत कर उसमें अपने हकों को प्रदर्शित कर ही न्यायालय से डिक्री प्राप्त की जा सकती है । उन्होनें अपनी बहस जारी रखते हुवे हमारे समक्ष एक तथ्य यह भी रखा कि राज्य के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व 2 माह के धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना Mandatory provision कानून में है। आपात स्थिति में धारा 80(2) सी. पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर 2 माह की छूट लेने हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है, वादीगण द्वारा ऐसा कोई प्रार्थना पत्र भी न्यायालय में प्रस्तुत कर वाद पत्र प्रस्तुत करने की इजाजत नहीं ली है । अतः दावा कानूनी बिन्दु पर भी काबिले खारिज है। इस बहस के आधार पर उन्होनें वादीगण के वाद पत्र को बोगस लिटीगेशन, बिना किसी वादकारण (Couse of action) के प्रस्तुत होने से खारिज करने का निवेदन किया ।

हमनें उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत बहस पर गहराई से मनन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन व दस्तावेजी तथा मौखिक साक्ष्य पर गौर किया । साथ ही वादीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत नजीरें यथा **2013(1) RRT Page 226** व **2013(1) RRT Page 93** को आदरपूर्वक पढ़ा । जिसके पश्चात् हमारा तनकीवार निर्णय इस प्रकार से है –

तनकी संख्या 1, 2 व 4:– ये तीनों तनकियां को–रिलेटिड है तथा एक दूसरे पर निर्भर है । इन पर एक साथ आये साक्ष्य एवं सुविधा की दृष्टि से इनका निस्तारण एक साथ ही किया जाना न्यायोचित होगा । तनकी संख्या 1 व 2 का भार वादीगण तथा तनकी संख्या 4 का सिद्धि भार प्रतिवादी राज्य पर है । हमारी सुविचारित राय में दावे में वादीगण यह कह कर आये है कि विवादित भूमि उनके पिता शेरा वल्द पुरबा के संवत 2012 से पूर्व कब्जे काश्त में होने से कानून की रूह से वे इसके खातेदार काश्तकार हो गये । अतः प्रस्तुत वाद को उनके पक्ष में डिक्री किया जाना चाहिये । लेकिन जब हम अभिलेखों पर दृष्टिपांत करते है तो [illegible] पैरोकार की बहस पर पुरी तरह से इत्तेफाक रखते है कि वादीगण साबिका खसरा नं. 128/[illegible] व [illegible]/65 की आरजी उनके पिता के संवत 2012 से पूर्व कब्जा काश्त [illegible] । जिसकी खातेदारी प्रदर्श–22 संवत 2031 से 2034 की खसरा [illegible] दर्ज है । जिसके अराजीराज होने के सम्बंध में कोई दस्तावेज वादीगण ने न्यायालय [illegible] पेश प्रस्तुत नहीं किये है । हालांकि खातेदार होने के सम्बंध में जमाबन्दी ही अधिकृत दस्तावेज माना जा सकता है, क्योंकि रिकॉर्ड ऑफ राईट जमाबन्दी को ही माना गया है तथा किसी दावे को प्रमाणित करने हेतु जमाबन्दियों की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत कर उसमें अपने अधिकारों का प्रदर्शन कर ही दावा डिक्री कराया जा सकता है । हम पैरोकारराज की बहस से पुरी तरह सहमत है कि किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Khatri
Date: 2021.01.15 16:56:51 IST
Reason: SelfAttested

में हकों का निस्तारण हेतु खसरा गिरदावरियों को आधार अभिलेख नहीं माना जा सकता। वादीगण ने कोई जमाबन्दी की प्रति रिकॉर्ड पर प्रस्तुत नहीं की, जिससे उसके पिता का नाम खातेदार के रूप में हो तथा ना ही उसके सिवायचक दर्ज करने के आदेश की प्रति प्रस्तुत की हैं । वादीगण खसरा नं. 128/65 व 129/65 की आड में जो पहले से ही उनके पिता की खातेदारी की है, अन्य भूमि खसरा नं. 65 मिन की जो शिकस्त होकर दर्ज हुई। जिसके वर्तमान खसरा नं. 30, 36 व 37 बताते हुवे, इन पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही है, जो हमारी राय में यह सही नहीं है। साथ ही इस प्रकरण में तो वाद पत्र पढ़ने से कहीं भी वादकारण (Couse of action) का अंकन नहीं है । कानून की यह स्वीकृत स्थिति है कि किसी वाद के संधारण हेतु वादकारण (Couse of action) का होना आवश्यक एवं प्राथमिक शर्त होती है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में कोई वादकारण प्रतिवादी के विरूद्ध वादीगण को प्राप्त हुआ हो, ऐसा कोई तथ्य वाद पत्र में लिखा हुआ नहीं है । ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद बोगस लेटीगेशन की श्रेणी में आ जाता है । तथा न्यायालय का यह उत्तरदायित्व बन जाता है कि ऐसे बोगस दावों को प्राथमिक स्तर पर ही खारिज कर दिये जावें । कानूनी दृष्टि से भी यह वाद काबिले खारिज हो जाता है, क्योंकि राज्य के विरूद्ध दावा लाने से पहले तहसीलदार को धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना Mandatory provision है । वादीगण ने ऐसा ना ही ऐसा कोई नोटिस दिया है, ना ही इसकी छूट हेतु धारा 80(2) सी.पी.सी. का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इसकी अनुमति ली है । उक्त विवेचन की पृष्ठ भूमि में वादीगण द्वारा प्रस्तुत कानूनी दृष्टान्त उनको कोई मदद करने वाले नहीं है । ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 1 व 2 खिलाफ वादीगण एवं तनकी संख्या 4 बहक प्रतिवादी खिलाफ वादीगण निर्णित की जाती है ।

तनकी संख्या 3 को साबित करने का जिम्मा वादीगण पर है। तनकी संख्या 1, 2 व 4 के विस्तृत विवेचन के आधार पर वादीगण को खातेदार काश्तकार नहीं होने का निर्णय हुआ है । ऐसी स्थिति में यह तनकी खिलाफ वादीगण बहक प्रतिवादी तय की जाती है।

अनुतोषः–

तनकी संख्या 1 ता 3 खिलाफ वादीगण बहक प्रतिवादी व तनकी संख्या 4 बहक प्रतिवादी विरूद्ध वादीगण तय होने से वादीगण विवादित भूमि पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के हकदार नहीं ठहरते हैं ।

वादीगण का वाद बोगस लेटिगेशन की श्रेणी में आ जाने से प्रतिवादी के खिलाफ खारिज किया जाता है । तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया व इस न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

बिन्दू खत्री
आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बीकानेर शहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Khatri
Date: 2021.01.15 16:56:51 IST
Reason: SelfAttested